

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 04.09.2020

संख्या-1/पी0- 102/2015 का०- 4373 / अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (बोकारो) के पद पर पदस्थापित श्री नितीश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम (जमशेदपुर) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें धालभूम (जमशेदपुर) अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0- 102/2015 का०- 4374 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अभिजीत सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2018) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें चक्रधरपुर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0- 102/2015 का०- 4375 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत सुश्री समीरा एस0, भा.प्र.से. (झा:2018) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची सदर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0- 102/2015 का०- 4376 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री मनीष कुमार, भा.प्र.से. (झा:2018) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें लातेहार अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0- 102/2015 का०- 4377 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रवि आनन्द, भा.प्र.से. (झा:2018) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गुमला अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।


संख्या-1/पी0- 102/2015 का०- 4378 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री ऋतुराज, भा.प्र.से. (झा:2018) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गोड्डा अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

9/201

संख्या-1/पी0-102/2015 का०- 4379 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दिनेश कुमार यादव, भा.प्र.से. (ज्ञा:2018) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें देवघर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।


2. उपर्युक्त स्थानान्तरण-पदस्थापन के क्रम में जो पदाधिकारी प्रभार रहित होंगे वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0- 102/2015 का०- 4379 / दिनांक 04.09.2020

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।